

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर
प.8 (ड) (का.भा.) / डीएलबी / 25 / 8१७१
आदेश

दिनांक : ०५/११/२०२५

विभागीय आदेश दिनांक 01.09.2025 द्वारा श्री आशीष गांधी पार्षद वार्ड संख्या 21 को नगर पालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्ण हो तक के लिये दिया गया था।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आशीष गांधी पार्षद वार्ड संख्या 21 को नगर पालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्ण हो तक के लिए दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव,

क्रमांक: प.8 (ड) (का.आ.) / डीएलबी / 25 / 8१८०-8१९० दिनांक: ०५/११/२०२५
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर / जिला कलक्टर डूंगरपुर
5. निदेशक / अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज० राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज० जयपुर।
7. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा।
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सागवाड़ा।
10. श्री आशीष गांधी पार्षद वार्ड संख्या 21 नगर पालिका सागवाड़ा।
11. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षितपत्रावली


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव